DRM/ADA.

10/2/2015 DRM/RI 288.

दक्षिण पूर्व रेलवे

कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा),
गार्डनरीच, कोलकाता-43.

सं.का/हिन्दी/20/3/6/त.पु.ले.

दिनांक 02.02.2015

मंडल रेल प्रबंधक,
आद्रा, खड़गपुर, चक्रधरपुर, रांची,
मुख्य कारखाना प्रबंधक-खड़गपुर कारखाना,
समस्त विभागाध्यक्ष, गार्डनरीच,
द.पू.रेलवे ।

विषय :- तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में मौलिक लेखन पुस्तकों के लिए "लाल बहादुर शास्त्री" तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना वर्ष - 2014 ।

संदर्भ :- इसी विषय पर रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.01.2015 का पत्र सं. हिंदी/2015/प्र-7/1

उपर्युक्त विषय पर भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों के नाम परिपत्रित रेलवे बोर्ड के पत्र की प्रतिलिपि आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इसका व्यापक प्रचार करें ।

आवश्यक प्रचार करें

11.2.15

कृपया Internet में डालें / Email.

(सुधा मिश्रा)
राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक (राजभाषा)

ADRM
DEE/G
Soumen/OS/DRMCell.

Computer/F/KIRAN/Letters/SK/02.02.15

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2015/प्र.- 7/1 नई दिल्ली, तिथि: 12.01.2015

महाप्रबंधक (राजभाषा),
सभी रेलें/उत्पादन कारखाने,
एवं प्रशिक्षण संस्थान.

विषय: तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन पुस्तकों के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना (आधार वर्ष – 2014)".

रेलों से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूलरूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की उपर्युक्त योजना लागू है.

इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष निम्नलिखित तीन नकद पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है:-

1. प्रथम पुरस्कार (एक)	:	15,000/-रु
2. द्वितीय पुरस्कार (एक)	:	7,000/-रु
3. तृतीय पुरस्कार (एक)	:	3,300/-रु

इस योजना की मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. पुस्तक मौलिक रचना होनी चाहिए अर्थात वह किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का अनुवाद न हो.
2. जिस मौलिक पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्षों में लिखी गई हो अथवा प्रकाशित हुई हो.
3. पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए.
4. जिन पुस्तकों को इस पुरस्कार योजना के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका हो, उन्हें दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जाए.
5. जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक पुरस्कार दिया जा चुका होगा, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा.

6. प्रतियोगी को पुस्तक की 2 मुद्रित अथवा 2 टंकित प्रतियां निर्धारित आवेदन पत्र के साथ भेजनी होंगी. प्रविष्टियां सहित आवेदन-पत्र विधिवत् भरकर निदेशक (राजभाषा) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), कमरा. नं. 544, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजने होंगे.
7. एक लेखक पुरस्कार योजना के लिए एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है यद्यपि, किसी वर्ष विशेष में, एक लेखक को सिर्फ एक पुरस्कार दिया जाएगा.
8. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए, तथापि इससे छोटी पुस्तकों पर निर्णायक मंडल अपने विवेकानुसार विचार कर सकता है.
9. अपनी कृति भेजने वाले लेखक को बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भेजना होगा.

अनुरोध है कि इस योजना का अपने रेल कार्यालयों में व्यापक प्रचार करें ताकि अधिकाधिक अधिकारी/कर्मचारी तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित हों.

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन पुस्तकों के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मैलिक लेखन पुरस्कार योजना (आधार वर्ष – 2014)" के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख 29.05.2015 है.

संलग्नः यथोक्त

(रिसाल सिंह)
उप निदेशक, राजभाषा
फोन नं. 9717647508

प्रतिलिपिः 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय.
2. बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित.